



मु० न०:- १५ / 2024

तारीखरजु:- 21/6/24

2024/132

उनवान:- कम्पूरी बनाम गंगासहाय वगै०
दावा बाबत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
21 ⁶ / ₂₄	<p>वादी की ओर से श्री छुट्टन लाल मीना एडवोकेट ने दावा बाबत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 18.07.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (सुनीता मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी </p>
18 ⁷ / ₂₄	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित छाने वादी न० 1 लगायत 5 के नोटिस सुव 6/1, 6/2, 6/3 के नोटिस स्वयं सुव परिवार जनो से होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। व प्रतिवादी न० 7, 8 के नोटिस तामील छाने प्राप्त नहीं हुई है। पोसाएष जनसुनवाई में पंच्यो है। वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 29.08.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उज्जर</p>
27 ⁸ / ₂₄	<p>पत्रावली पेश हुई वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी न० 1 लगा० 5, 6/1, 6/2, 6/3 के नोटिस स्वयं व परिवारजनो से होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। बाबजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसविष उक्त के विवाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते तलबी प्रतिवादी न० 7, 8 दिनांक 27.9.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
9/9/25	पत्रावली पेश दुही / वादी वकील उपस्थित वादी वकील को खर्चा नं० 7, 8 के लिये लिखित पेश करने की दिशा में ही गद्दी/वादी लक्ष्य दिनांक 13/10/25 को पेश हो
13/10/25	पत्रावली पेश दुही वादी एवं वादी वकील को उपस्थित नही कर - कर भावात् दिनांक इसके उपरान्त भी वादी एवं वादी वकील को उपस्थित नही हुआ, वाकिएत इतल दाव्य वाकत तलाक्य व स्थायी निवेदान वादी एवं वादी वकील को अदम पेशी अदम दायिरी में खारिज किया जाता है पत्रावली पत्रालय अमार हेकर गभर अम कर दाखिल करत हो